

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> लल्लुलाल बनाम कस्तुरी </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</div>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">13/04/2026</p>	<div style="margin-bottom: 10px;"> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">838/2018</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">837/2018</p> </div> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 838/2018 एवं 837/2018 में इकजाई बहस सुनी जानी उचित समझी जाती है अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावली पर ईकजाई रूप से सुनी गयी अतः पत्रावलीयां निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो </p>	
<p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">15/04/2026</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">राजस्व अपील प्राधिकारी</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">जयपुर</p> </div> <p>आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2018 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को ग्राम चाकसू के खसरा नम्बर 8536 से 8544, 8546 से 8553, 8555, 8556, 8557 किता 21 रकबा 8.99 हैक्टेयर वाके ग्राम चाकसू पश्चिम तहसील चाकसू का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये जिसकी पालना में कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिनांक 19/07/2018 व डिक्री दिनांक 23/07/2018 पारित करते हुये वाद डिक्री कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2018 के विरुद्ध अपील संख्या 837/2018 एवं अन्तिम निर्णय दिनांक 19/07/2018 व डिक्री दिनांक 23/07/2018 के विरुद्ध अपील संख्या 838/2018 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दोनों पत्रावलीयो पर ईकजाई रूप से सुनी गयी चूँकि दोनों अपीले समान प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है, जिसमे उभयपक्षों की ईकजाई बहस समायत की गयी है अतः इस एक ही निर्णय के माध्यम से दोनों अपीलों का निस्तारण किया जा रहा है निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर सलग्न की जावे </p> <p>अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्रीयो के अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय पारित किये गये है, जिनमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नहीं होती है सहखातेदारान/पक्षकारान</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">राजस्व अपील प्राधिकारी</p> <p style="color: blue; font-size: 1.2em; margin: 0;">जयपुर</p> </div>	



राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

लल्लूलाल बनाम कस्तुरी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुकम

838
2018
837
2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

के मध्य विभाजन एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर अनावश्यक निरस्त किया जाना अथवा लम्बित रखा जाना उचित नहीं समझा जाता है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री के माध्यम किया गया विभाजन न्यायसंगत एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/05/2018 एवं अन्तिम निर्णय दिनांक 19/07/2018 व डिक्री दिनांक 23/07/2018 यथावत रखे जाकर दोनों अपीले क्रमशः 838/2018 एवं 837/2018 खारिज की जाती है।

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

